

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAY (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-1/23/PRS Terminal/Pt.2

New Delhi, Dated 25.09.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 56 OF 2018)

Sub: Applicability of GST on Annual System Access Charges, Annual License Fees of YTSK and Penalties imposed upon YTSKs.

Ref: (i) Central Railway's no. C/CRS/BB-407/YTSK Scheme/Pt.III dated 19.01.2018.

(ii) Western Railway's letter no. C 550/17/0 YTSK Vol. II dated 16.04.2018


Queries had been raised by Central and Western Railways, seeking clarification on applicability of GST vis-à-vis certain provisions of the YTSK scheme.

1.1 The matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of the Ministry of Railways and it has been decided that GST shall be applicable on different transactions under YTSK scheme as follows:-

S.No.	Nature of Consideration	Taxability	Rate	HSN Code
1	Security Deposit	Not a supply	-	-
2	Forfeiture of security deposit	Exempt	-	9997
3	One-time non-refundable registration fee	Taxable under Reverse Charge Mechanism	18%	9973
4	Terminal Access Charge	Taxable under Reverse Charge Mechanism	18%	9973

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.


3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-1/23/PRS Terminal/Pt.2

Dated: .09.2018

Copy forwarded to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.


for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2014/टीजी-1/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट 2

नई दिल्ली, दिनांक 25.09.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 56)

विषय: वार्षिक सिस्टम उपयोग प्रभार, वाईटीएसके का वार्षिक लाइसेंस शुल्क और वाईटीएसकेएल पर लगाए गए जुर्माने पर जीएसटी की प्रयोजनीयता।

संदर्भ: (i) मध्य रेलवे का दिनांक 19.01.2018 का पत्र सं. सी/सीआरएस/बीबी-407/वाईटीएसके योजना/पार्ट III.

(ii) पश्चिम रेलवे का दिनांक 16.04.2018 का पत्र सं. सी550/17/0वाईटीएसके वॉल्यूम II.

मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें वाईटीएसके योजना के कुछ प्रावधानों पर जीएसटी की प्रयोजनीयता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

1.1 रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है, और यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके योजना के अंतर्गत विभिन्न लेन-देन से संबंधित जीएसटी निम्नानुसार लागू होगा:-

क्र. सं.	प्रतिफल की प्रकृति	कर देयता	दर	एचएसएन कोड
1.	प्रतिभूति जमा	यह कोई संचय नहीं है	-	-
2.	प्रतिभूति जमा की जब्ती	मुक्त	-	9997
3.	एकबारगी अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क	रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत कर योग्य	18%	9973
4.	टर्मिनल उपयोग प्रभार	रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत कर योग्य	18%	9973

2. सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(समीर कुमार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-1/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट2

दिनांक .09.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

Handwritten:
Vaid
5.11.18
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त वाणिज्य, प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
- 4) महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
- 14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.
